

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

-: आदेश :-

ईद-उल-जोहा (बकरीद)-2015 के अवसर पर निर्गत जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक 2474/गो0, दिनांक 19.09.2015 की कंडिका- 08 में उल्लेखित है कि " बकरीद के अवसर पर जिला की शराब की सभी प्रकार की दूकानें बन्द करने हेतु उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।" के आलोक में अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1036/30, दिनांक 23.09.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " बिहार उत्पाद अधिनियम- 1915 के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्तियों के लिए बनाये गये सामान्य अनुदेश की कंडिका-12 में उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित अनिवार्य बन्दी दिवसों (विभागीय अधिसूचना संख्या- 4/टेक 30013/96-175, दिनांक 27.02.2006 द्वारा प्रतिस्थापित) में ईद-उल-जोहा (बकरीद) के अवसर पर बन्दी प्राविधित नहीं है।" तदनुसार बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त जिला संयुक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

5/1

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक.....2510...../गो0, दिनांक.....23/09/15.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अपर समाहर्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्ता (आपदा), मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मधेपुरा /उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा /परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, मधेपुरा /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /वितन्तु पर्यवेक्षक, मधेपुरा / प्रतिनियुक्त संबंधित दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा / आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।